रजिस्ट्री सं० डी० 222

REGISTERED No. D. 222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 18] नई दिल्ली, शनिवार, मई 5, 1973/वैशाख 15, 1895
No. 18] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 5, 1973/VAISAKHA 15, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, by-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).

मंत्रिमंडल सचिवालय
(कार्मिक विभाग)

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 1972

सा. का. नि. 450.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक और अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, निर्मुक्त आपात्कालीन आयुक्त अधिकारियों और अल्पकालीन सेवा आयुक्त अधिकारी (रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1971 का संशोधन करने के लिए, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम निर्मुक्त आपात्कालीन आयुक्त अधिकारी तथा अल्पकालीन सेवा आयुक्त अधिकारी (रिक्तियों का आरक्षण) (संशोधन) नियम, 1072 कहे जा सकेंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. निर्मुक्त आपात्कालीन आयुक्त अधिकारी तथा अल्पकालीन सेवा आयुक्त अधिकारी (रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1971 में नियम 3 के उप-नियम (घ) के खंड (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा।

"(11) जहां तक इसका सम्बन्ध अल्पकालीन सेवा आयुक्त अधिकारियों से है, वह वर्ष जिसमें अल्पकालीन सेवा आयुक्त अधिकारियों के रूप में उनका सामान्य कार्यकाल समाप्त होता हो।"

[संख्या एफ. 9/21/72-स्थापना (ग)]
ओ. पी. यादव, अवर सचिव

CABINET SECRETARIAT
(Department of Personnel)

New Delhi, 4th October, 1972

G.S.R. 450.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers (Reservation of Vacancies) Rules, 1971, namely —

1. (1) These rules may be called the Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers (Reservation of Vacancies) (Amendment) Rules, 1972

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Education and other qualifications for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7
Staff Car Driver	One	General Central Service, Class III Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 110-3-131-4-139	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Methods of recruitment whether by direct recruitment, promotion, deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	Not applicable	By 100 % transfer	From Motor Drivers of the Field Publicity Units of the Directorate of Field Publicity with 10 years' approved service in the grade.	Not applicable	Not applicable

[No. 4/11/68-Admn.]
J. SANYAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1973

सा. का. नि. 475.—यथा संशोधित प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 की धारा 8-ग की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव श्री ए. जे. किदवई को श्री आर. सी. दत्त के स्थान पर प्रेस तथा पंजीकरण अपील बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है।

[संख्या एफ. 10/1/73-प्रेस]
एस. पद्मनाभन, उप सचिव

New Delhi, the 7th April, 1973

G.S.R. 475.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 8-C of the Press and Registration of Books Act, 1867, as amended, the Central Government hereby appoints Shri A. J. Kidwai, Secretary to the Government of India, Ministry of Information and Broadcasting, as Chairman of the Press and Registration Appellate Board vice Shri R. C. Dutt.

[F. No. F. 10/1/73-Press]
S. PADMANABHAN, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 1973

सा. का. नि. 476.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति आकाशवाणी (श्रेणी-2 पद) भर्ती नियमावली, 1962 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

(1) इन नियमों को आकाशवाणी (श्रेणी-2 पद) भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1973 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (श्रेणी-2 पद) भर्ती नियमावली, 1962 की अनुसूची में, क्रम संख्या 20 के सम्मुख कालम 2 के अन्तर्गत वर्तमान प्रविष्टि "लाइसेंस सुपरवाइजर" के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"सांख्यिकीय अधिकारी"

[सं. एफ. 1/9/72-बी(ए)]

ए. वी. नारायणन, अवर सचिव

New Delhi, the 10th April, 1973

G.S.R. 476.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class II Posts) Recruitment Rules, 1962, namely:—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Class II Posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to All India Radio (Class II Posts) Recruitment Rules, 1962 against Serial No. 20, in Column 2, for the entry "Licence Supervisor", following entry shall be substituted, namely:—

"Statistical Officer"

[No. F. 1/9/72-B(A)]

A. V. NARAYANAN, Under Secy.

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1973

सा. का. नि. 477.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानव-विज्ञान सर्वेक्षण (साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 1 और वर्ग 2 पद) भर्ती नियम, 1967 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय मानव-विज्ञान सर्वेक्षण (साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 1 और वर्ग 2 पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1973 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय मानव-विज्ञान सर्वेक्षण (साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 1 और वर्ग 2 पद) भर्ती नियम, 1967 की अनुसूची में, संयुक्त निदेशक के पद से संबंधित क्रम सं. 1-क के सामने,—

(1) स्तम्भ 8 की प्रविष्टियों के स्थान पर 'नहीं' प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(2) स्तम्भ 10 की प्रविष्टि के स्थान पर "प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(3) स्तम्भ 11 में, "प्रोन्नति" शीर्षक के अन्तर्गत प्रविष्टि के स्थान पर "उपनिदेशक, जिसकी उस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा हो" प्रविष्टि रखी जाएगी।

[सं. फा. 29-27/72-टी. 1]

ए. के. मंडल, सहायक शिक्षा सलाहकार (टी.)

MINISTRY OF EDUCATION & SOCIAL WELFARE

(Department of Education)

New Delhi, the 23rd April, 1973

G.S.R. 477.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Anthropological Survey of India (General Central Service Class I and Class II Posts) Recruitment Rules, 1967, namely :—

1. (1) These rules may be called the Anthropological Survey of India (General Central Service Class I and Class II Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Anthropological Survey of India (General Central Service Class I and Class II Posts) Recruitment Rules, 1967, against Serial Number 1A relating to the post of Joint Director,—

(i) in column 8, for the entries the entry "No" shall be substituted;

(ii) in column 10, for the entry the entry "By promotion failing which by direct recruitment" shall be substituted;

(iii) in column 11, for the entry under the heading 'promotion' the entry "Deputy Director with 3 years' service in the grade" shall be substituted.

[No. F. 29-27/72-T.1.]

A. K. MANDAL, Assistant Educational Adviser(T)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P&T Board)

New Delhi, the 19th April, 1973

G.S.R. 478.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Posts and Telegraphs (Class IV posts) Recruitment Rules, 1970, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Posts and Telegraphs (Class IV posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule annexed to the Indian Posts and Telegraphs (Class IV Posts), Recruitment Rules, 1970, under the heading "Subordinate Offices", in item I, in column 1 after the entry "Cleaner in Mail Motor Service", the entry "Pump-men" shall be inserted.

[No. 45/22/71-SPB. I]

R. RAJAGOPALAN, Asstt. Director General (SPN)

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 1973

सा. का. नि. 479.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) ज्येष्ठ विश्लेषक (श्रेणी 1, राजपत्रित) के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः**—(1) इन नियमों का नाम नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) ज्येष्ठ विश्लेषक (कार्य अध्ययन) (श्रेणी-1-राजपत्रित) भर्ती नियम, 1973 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होनाः**—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पद को लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमानः**—उक्त पद की संख्या उसका वर्गीकरण और उसके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से लेकर 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।